लाइनों के निर्माण के लिए रेलों को सीमित धन-राशि आबंटित की गयी है जो चालू योजनाओं के लिए भी पर्याप्त नहीं है । इसलिए अभी लगभग 200 कि० मी० लम्बी इस नयी रेल लाइन का निर्माण शुरू करना जिस पर लगभग 75 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है, सम्भव नहीं है ।

Road overbridge at Cuttack Railway Station

5350. SHRI CHINTAMANI JENA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Works Department of the State Government of Orissa in their letter No. 14801, dated 26 June, 1981 had communicated to the S.E. Railway authority that the cost of the road overbridge including two lane traffic will be borne by the State Government on 50:50 basis; if so action taken thereon by the centre;

(b) whether this road over-bridge has been included in the works programme of 1981-82 or 1982-83, if not, the reason thereof and action taken by the Union Government for its inclusion in the works programme and intimation to the State Government of Orissa to contribute their share; and

(c) whether it is a fact that the State Government has agreed to met the cost of land acquired and/other conditions laid down by the Centre; if so, the views of the Centre on these issues?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) The Government of Orissa have agreed to share the cost of the proposed road over bridge of two lane traffic width in replacement of existing level crossing at the South end of Cuttack Railway Station on a 50:50 basis as per extant rules.

(b) This work has been included in the Rilways Works Programme 1982-83.

(c) They have also added to bear of land and to other usual terms and conditions, in accordance with extant rules.

संयुक्त उद्यम पर भारत-अल्जीरियन समिति

5351. **श्री हीरा लाल आर० परमार :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्जीयर्स में हुई भारत और अल्जीरिया के संयुक्त उद्यम समिति की बैठक में किन प्रश्नों और विषयों पर चर्चा की गई ;

(ख) इस पर लिये गये निर्णय की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) भारत-अल्जीरियाई संयुक्त आयोग की 8 से 11 फरवरी, 1982 तक अल्जीरिया में हुई मंत्री-स्तर की पहली बैठक में दोनों देशों के बीच के आर्थिक, तकनीकी, वाणिज्यिक, शैक्षिक तथा वैज्ञानिक सम्बन्धों की समीक्षा की गई । जिन विशिष्ट विषयों पर विचार विमर्श किया गया उनमें ये शामिल हैं— परिवहन में सहयोग; मध्यम तथा लघु उद्योग; भारी उद्योग ; सिंचाई और होटल–निर्माण ; द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को और विज्ञान प्रौद्योगिकी और संस्कृति के क्षेत्र में आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों ने, अनेक उपायों के बारे में निर्णय किया संयुक्त आयोग की बैठक से दोनों देशों के बीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध और मजबूत हुए तथा इससे

इस समय चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने और आर्थिक सहयोग के नये क्षेत्रों का पता लगाने का अवसर भी मिला । भारतीय पक्ष अल्जीरियाई पक्ष की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों की भर्ती में सहायता करने पर भी सहमत हुआ ।

12.00 hrs.

अध्यक्ष महोदय : श्री मनीराम बागड़ा

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North-East) Under Direction 2, privilege notice gets precedence.

MR. SPEAKER: I will see; that is under my consideration.

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : सुब्रमण्यम स्वामी जी, मुझे बोलने दीजिए, मुझे टाइम मिला है । व्यवधान स्पीकर साहब गृह मंत्री जी खड़े हो गये हैं, ये बोलें या मैं । गृह मंत्री जी, आप ही पहले बोल लें

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, इस बात का सम्बन्ध आप से है । वह हमें आप से करनी है । गृह मंत्री जी बीच में नहीं आ सकते ।

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. SHIV SHANKAR): Let him have his say?

(Interruptions)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह सदन की कल की कार्यवाही की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में सदन में जो कुछ हुआ, वह रिकार्ड नहीं किया गया । डिप्टी स्पीकर महोदय ने बहुत से हिस्से एक्सपंज कर दिये । जब उन से पूछा गया कि यह किस नियम के अनुसार किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि रेजीडुयेरी पावर्स के हिसाब से ।..(व्यवधान)..

MR. SPEAKER : We will discuss it.

(Interruptions)

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : What is the Home Minister doing ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कुछ शब्द निकाले जा सकते हैं लेकिन पूरी कार्यवाही कैसे निकाली जा सकती है ।

MR. SPEAKER: I will talk to you about it. But what was done in the House yesterday, I was given to understand, was done by the Chair in the House itself with the sense of the House.

SOME HON. MEMBERS: No.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: I have not finished yet.

PROF. MADHU DANDAVATE Firstly the ruling is never given by talking the sense of the House. Have you ever given your ruling by taking the sense of the House?

MR. SPEAKAR: There are instances where words and expressions prejudicial to national interest have been kept out of the proceedings. There are speciffic instances of that. But I will discuss it with you—not in the House.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: I have also seen the rules.

श्री मनीराम बागड़ी : आप ने मुझे पहले बोलने के लिए कहा था लेकिन मेरी बात नहीं सुनी । पहले जब आप ने बोलने को कहा तो बगैर मुझे सुने आप ने कह दिया । आप कैसे इन की बात सुन रहे हैं ।..(व्यवधान)..आप ने मुझे पहले बोलने का अवसर दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सुन रहा हूं । मैं इन की बात नहीं सुन रहा हूं ।